

संशोधित आदेश

राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971 (समय-समय पर संशोधित) के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2020-21 की दिनांक 29.09.2020 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में सम्पन्न बैठक की अभिशंषा पर 33 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने सम्बंधी समसंख्यक आदेश दिनांक 08.10.2020 के अन्तिम पैरा "यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डीबी रिट पिटीशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 13963/2014 गोपेश माथुर बनाम राजस्थान राज्य एवं एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 5749/2013 जय सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी", को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"यह पदोन्नतियां माननीय उच्च न्यायालय की डीबी रिट पिटीशन संख्या 14176/2012 समता आन्दोलन समिति बनाम राजस्थान राज्य, एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 13963/2014 गोपेश माथुर बनाम राजस्थान राज्य एवं एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 5749/2013 जय सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 753/2019 जय सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में अपील के अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेगी।"

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

Sd-

(डॉ. पृथ्वी)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र संख्या 186 दिनांक 15.10.2020 के संदर्भ में।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(निशान्त जैन)

संयुक्त शासन सचिव